

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला बालोद (छ0ग0)

फोन एवं फैक्स नं. : 07749-223077 ई-मेल : balod.court@nic.in

॥ सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन ॥

क्रमांक— **3463** /दो—11—2/2013

बालोद, दिनांक— 13.11.2024

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि— 07.12.2024 की संध्या 5.00 बजे तक
(केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद की स्थापना हेतु वाहन चालक के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु, भारतीय नागरिकों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :—

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल रिक्त पद	रिक्त पदों का विवरण																	
			पदों के आख्यान का विवरण					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अन्य पिछ़ा वर्ग		
			मूल	महिला	दिव्यांग	संतुलित	भूतपूर्व	मूल	महिला	दिव्यांग	संतुलित	भूतपूर्व	मूल	महिला	दिव्यांग	संतुलित	भूतपूर्व	मूल	महिला	दिव्यांग
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
01	वाहन चालक	02	0	01	01		

महत्वपूर्ण टीप :-

- पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
- विज्ञापन में कोई भी शुद्धिपत्र जारी करना व चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना इत्यादि भर्ती समिति का अधिकार होगा, जो कि अंतिम व बंधनकारी होगा एवं इस संबंध में किसी भी पत्र व्यवहार पर विचार नहीं किया जायेगा।
- परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला— बालोद (छ0ग0) के पास सुरक्षित होगा।

—:: भर्ती की पात्रता एवं शर्ते ::—

{01} वाहन चालक पद के लिये—

(1) वेतनमान – वेतन मैट्रिक्स लेवल – 4 (रूपये 19500—62000)

(2) शैक्षणिक योग्यता –

{अ} किसी भी राज्य शासन के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होना चाहिए।

- [ब] हल्के मोटर वाहन/कॉमर्शियल वाहन चालक की वैद्य अनुज्ञप्ति (लायसेंस) धारण करता हो तथा सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। अनुभवी एवं वाहन मैकेनिकों को प्राथमिकता दी जावेगी।
- [स] अभ्यर्थी स्वरूप्य होना चाहिए।
- [द] यह अपेक्षित है कि उम्मीदवार को छत्तीसगढ़ी (बोली)/स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए।

टिप्पणी— उच्च योग्यता वाले अभ्यर्थी जो कि किसी अन्य शासकीय विभाग में तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा नियमित वाहन चालक के रूप में सेवा दे रहे हो, उससे संबंधित दस्तावेज जमा करें।

आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तेः—

{1} आयु सीमा :-

उपरोक्त पदों के लिये ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी आयु 01 जनवरी, 2024 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हों, परन्तु छ.ग. के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा 40 वर्ष होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला इत्यादि के लिये अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय—समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा **45 वर्ष** से अधिक नहीं होगी।

छोटगो ३० वर्ष के बाहर अन्य राज्य के आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा **30 वर्ष** होगी।

आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिये प्राथमिक/माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण पत्र/अंकसूची जिनमें जन्म तिथि का उल्लेख हो, मान्य होंगे। जो अभ्यर्थी उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहते हैं, उन्हें संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

{2} अन्य शर्तेः—

1. रोजगार कार्यालय में उनका जीवित पंजीयन होना चाहिए। {कार्यरत शासकीय सेवकों के लिये लागू नहीं है}
2. चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने की दशा में चयनित उम्मीदवार को सूचना दिये बिना उसकी सेवा समाप्त की जाकर दाण्डिक कार्यवाही संस्थित की जा सकेगी।
3. उपरोक्त पदों पर नियुक्ति आदेश उपरांत पद—भार ग्रहण करने के पूर्व, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. आवेदन करने की तिथि में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य है।

5. जो अभ्यर्थी शासकीय सेवा/निगम/मण्डल/उपकम में कार्यरत है, उन्हें नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नि जीवित हो और कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पत्नि जीवित है वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने का विशेष कारण है, तो ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दिया जा सकेगा।
7. कोई भी अभ्यर्थी जिसे किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
8. अभ्यर्थी को किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत किया गया हो तो वह अपात्र माना जायेगा।

—: आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :-

- {1} आवेदन पत्र, विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र बंद लिफाफे में जिस पर वह आवेदित पद वाहन चालक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो। प्रेषित किया जाने वाला आवेदन पत्र, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला – बालोद {छ०ग०} के पता पर प्रेषित किया जावे। केवल वह आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जाएंगे, जो कि स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किये गये हों और इस कार्यालय को दिनांक 07.12.2024 की संध्या 05.00 बजे तक प्राप्त हो गये हों। इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से प्राप्त हुए आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 07.12.2024 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
- {2} आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, दिव्यांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- {3} जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा प्राथमिक/माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
- {4} ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् है, उन्हें अपने वर्तमान नियोक्ता/विभाग प्रमुख से उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- {5} आवेदन पत्र में स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित रंगीन फोटो, स्वप्रमाणित किया हुआ चर्चा होना चाहिये तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड या वोटर कार्ड या ड्रायविंग लायसेंस या पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

- {6} पंजीकृत डाक या स्पीड डाक पोस्ट के द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलंब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी।
- {7} ई-मेल व फैक्स के द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
- {8} बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा।
- {09} आवेदक को चाहिए की वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी सही एवं पूर्ण रूप से भरे। आवेदन पत्र में त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर उसे निरस्त किया जा सकेगा।

–:: नियुक्ति हेतु चयन विधि ::–

1. वाहन चालक पद हेतु—

- (अ) **लिखित परीक्षा** — वाहन चालक के पद हेतु 10 गुना से कम आवेदन प्राप्त होते हैं तो सीधा कौशल परीक्षा लिया जावेगा, 10 गुना से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद जिला (छ.ग.) द्वारा गठित भर्ती कमेटी या सब कमेटी द्वारा लिखित परीक्षा लिये जाने के संबंध में पृथक से निर्णय लिया जावेगा या केवल कौशल परीक्षा भी आयोजित की जा सकेगी। यदि, लिखित परीक्षा आयोजित किया जाता है तो, तो स्वतंत्र प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। जिसमें 30 अंकों का एक प्रश्न पत्र सहउत्तर पुस्तिका होगा जिसके सभी 30 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का एक-एक अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिये चार विकल्प होंगे जिसमें से सही विकल्प का चुनाव करना होगा। लिखित परीक्षा से संबंधित अन्य दिशा-निर्देश लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिया जावेगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, समसामयिक विषय एवं मोटररायान से संबंधित सामान्य जानकारी के अंतर्गत होंगे, उक्त परीक्षा की अवधि केवल 30 मिनट की होगी। मूल्यांकन में ऋणात्मक अंक नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्रावीण्य सूची वर्गवार/श्रेणीवार तैयार की जावेगी। अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। लिखित परीक्षा मात्र अभ्यर्थी की छटनी हेतु होगी। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक की गणना प्राविण्य/चयन सूची तैयार करते समय नहीं की जायेगी। केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्राविण्य/चयन सूची श्रेणीवार/वर्गवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होने की स्थिति में भर्ती समिति का निर्णय मान्य होगा।
- (ब) **कौशल परीक्षा** — कौशल परीक्षा में अभ्यर्थियों के शारीरिक एवं बौद्धिक दक्षता एवं वाहन चालन के संबंध में परीक्षण लिया जायेगा। प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा— 50 अंकों की होगी।

—:: चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची ::—

- (01) वाहन चालक के पद पर चयन हेतु , केवल कौशल परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही वर्गवार मेरिट सूची तैयार करते हुए चयन सूची तैयार की जायेगी तथा नियमानुसार वर्गवार प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी ।
- (02) प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी ।
- (03) समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी । जन्मतिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जिस आवेदक का नाम प्रथम आयेगा , उनका चयन किया जावेगा ।

—:: महत्वपूर्ण निर्देश ::—

- {1} चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- {2} चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद का होगा ।
- {3} चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्राप्त कर, प्रस्तुत करने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा ।
- {4} आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से सत्यापित न होने की दशा में संचालक आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से सत्यापित कराया जायेगा ।
- {5} चयनित उम्मीदवारों के, जिसे नियुक्ति आदेश जारी किये गये हो, कार्यभार ग्रहण किये जाने के पश्चात् पुलिस सत्यापन नियमानुसार कराया जायेगा, आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाये जाने की दशा में नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।
- {6} चयन प्रक्रिया के संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
- {7} उक्त नियुक्ति, आरक्षण के संबंध में माननीय छ0ग0 उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक (सी) 591 /2012, 592 /2012, 593 /2012 एवं 594 /2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन किया जावेगा ।
- {8} यह विज्ञप्ति बिना किसी कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी ।

- {09} जो अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जायेगी।
- {11} आवेदक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय की वेबसाइट **balod.dcourts.gov.in** से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित हो सकेंगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र कार्यालय द्वारा जारी नहीं किया जावेगा। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी के फोटोग्राफ कॉलम में वर्तमान रंगीन फोटो चर्स्पा एवं स्वहस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही पहचान संबंधी दस्तावेज, जैसे कि आधार कार्ड या ड्रायविंग लायरेंस या मतदाता परिचय पत्र या पैनकार्ड की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अन्यथा की दशा में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा एवं कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थियों को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर उपस्थित रहना होगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी।
- {12} प्राप्त आवेदनों की कूट परीक्षण उपरांत पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के वेबसाइट **balod.dcourts.gov.in** तथा सूचना पटल पर प्रकाशित किया जावेगा। उक्त प्रकाशन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो आवेदक 07 (सात) दिवस के भीतर स्वतः उपस्थित होकर लिखित आपत्ति चयन समिति के समक्ष पेश कर सकेंगे। अंतिम पात्र सूची आपत्ति के निराकरण पश्चात् वेबसाइट पर प्रकाशित/अपलोड की जायेगी।
- {13} आवेदक परीक्षा के लिये निर्धारित तिथि पर प्रवेश पत्र के प्रोफार्म को स्वयं भरकर परीक्षा के लिये निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होंगे, विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में शामिल नहीं किया जावेगा।
- {14} उम्मीदवारों को पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जावेगा। उम्मीदवारों का पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद, जिला बालोद के वेबसाइट **balod.dcourts.gov.in** तथा सूचना पटल पर चर्स्पा किया जावेगा, जिसे ही अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र पर अंकित करना है।

महत्वपूर्ण टीप :- “यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। परीक्षा में शामिल किये जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर उम्मीदवारी समाप्त मानी जायेगी।” नियुक्ति के पश्चात् कोई सारावान जानकारी छुपाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

स्थान : बालोद
दिनांक 13.11.2024

अनुमोदन
सही/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालोद (छ.ग.)

सही/-
अन्यक्ष
भर्ती एवं चयन समिति
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद,
जिला-बालोद (छ.ग.)

वाहन चालक के पद हेतुआवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बालोद, जिला बालोद {छ0ग0}

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम
पासपोर्ट फोटो
दिनांक सहित

- | | | |
|----|--|--------------------------------|
| 01 | आवेदित पद का नाम | — |
| 02 | आवेदक का पूरा नाम {हिन्दी में} | — |
| 03 | अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में पूरा नाम | — |
| 04 | लिंग {पुरुष/महिला/अन्य} | — |
| 05 | पिता/पति का नाम | — |
| 06 | {अ}. पत्र व्यवहार का वर्तमान पता | — |
| | | |
| | | |
| | | |
| 07 | {अ}. जन्म तिथि {अंकों में} | — |
| | {ब}. जन्म तिथि {शब्दों में} | — |
| | {स}. दिनांक—01.01.2024 को आयु | — |
| | (यदि आवेदक आयु में छूट का कोई दावा करता है तो उक्त के संबंध में आधार एवं दस्तावेज संलग्न करें) | वर्ष—..... माह—..... दिन—..... |
| 08 | क्या आवेदक छ.ग.राज्य का मूल निवासी है। — | |
| | {सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें} | |

- 09 क्या आवेदक छ.ग.राज्य के लिये घोषित —
 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा
 वर्ग का सदस्य है।
 [यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी
 स्थाई जाति— प्रमाण पत्र संलग्न करें]
- 10 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा—
 वर्ग अंकित करें
- 11 क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है | —
 [यदि हाँ तो सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करें]
- 12 रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन—
 क्रमांक दिनांक/वैधता दिनांक
- 13 रोजगार कार्यालय का नाम —
- 14 क्या आप विवाहित है? हाँ या नहीं —
- 15 यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि —

16 शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता —

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

17 अनुभव यदि कोई हो (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) —

.....
.....
.....
.....

18 क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय— संस्था में सेवारत है? यदि हॉ तो नियोक्ता का अनापत्ति/अनुमति संलग्न करें।

- 19 संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :— —
 {स्वप्रमाणित होना चाहिये}
- | | |
|----------|----------|
| 01. | 02. |
| 03. | 04. |
| 05. | 06. |
| 07. | 08. |
| 09. | 10. |

दिनांक—

स्थान—

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता
मोबाइल नं.
ई—मेल
(अनिवार्य रूप से भरें)	

// घोषणा पत्र //

मैं.....पति/पत्नी/पिता/अभिभावक
 सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करती/करता हूं कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णतया सत्य है। चयन के किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अपूर्ण या असत्य पाये जाने पर आवेदन पत्र या नियुक्ति रद्द किये जाने के लिये मैं पूर्णतः जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी ।

स्थान—

दिनांक—

आवेदक का हस्ताक्षर.....

कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद जिला बालोद {छ०ग०}

॥ प्रवेश-पत्र ॥

आवेदक का
स्वहस्ताक्षरित नवीनतम
पासपोर्ट फोटो दिनांक
सहित

वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु

आवेदन का पंजीयन क्रमांक	:-	
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक	:-	

आवेदित पद का नाम :—

अभ्यर्थी का नाम :—

पिता / पति का नाम :—

वर्ग— :—

{अनारक्षित / अ.जा. / अ.ज.जा. / अ.पि.व}

परीक्षा तिथि :—

समय :—

परीक्षा केन्द्र :—

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

कार्यालयीन उपयोग हेतु

वास्ते/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बालोद, जिला बालोद (छ.ग.)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1/ परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व पंजीयन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य है। विलम्ब से उपस्थित होने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी ।
- 2/ परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। परीक्षा में केवल काले अथवा नीले बाल पेन का ही उपयोग करें । परीक्षार्थी उक्त प्रवेश पत्र को स्वयं भरकर साथ लेकर आवेगा । पृथक से प्रवेश—पत्र नहीं भेजा जावेगा । आवेदन पत्र के पंजीयन क्रमांक तथा अनुक्रमांक की जानकारी प्रधान जिला न्यायालय के वेबसाइट balod.dcourts.gov.in एवं सूचना पटल से ली जा सकेगी ।
- 3/ परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के अस्त्र—शस्त्र वर्जित कागजात, चीट, पुस्तक, नोट्स, पेजर, केलकूलेटर, सोबाइल लॉग टेबल, ब्लू टूथ, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आदि रखना वर्जित है अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा ।
- 4/ प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है। एक अतिरिक्त फोटो साथ लेकर आवश्यक रूप से आवे ।
- 5/ परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।